नगर निगम रोहतक की दिनांक 28.02.2017 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिर्पोट

दिनांक 28.02.2017 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
8. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
14. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। तदोपरान्त बैठक की कार्रवाई आरम्भ करते हुए एजेन्डे पर विचार करने से पूर्व आयुक्त महोदय ने सम्पत्तिकर वसूली की प्रक्रिया पर काफी असंतोष जताया तथा निर्देश दिये कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले प्राईवेट संस्थानो, बैंकिट हॉल, टावरो इत्यादि के बिल जल्द से जल्द वसूल जाये तथा किसी भी प्रकार की अवहेलना पाये जाने पर उन्हे तुरंत प्रभाव से सीलिंग का नोटिस दिया जाये। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियो को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने विभागो के लंबित सम्पत्तिकर के बिल जमा करवाये अन्यथा उनके मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा।

सदन में वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

इसके पश्चात् बैठक में दिनांक 28.02.2017 को नगर निगम की सामान्य बैठक के लिए जारी किये गये एजेन्डे पर विचार विमर्श करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गयेः-

क्रम सं0	एजेन्डा	निर्णय
1.	**सदन की पिछली बैठक के एजेन्डो पर विचार-विमर्श बारे।**	दिनांक 21.10.2016 की बैठक मे लिए गये निर्णयों पर नगर निगम रोहतक द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट सभी पार्षदगण को पत्र क्रमांक एम0सी0आर0/946 दिनांक 24.02.2017 के द्वारा भेज दी गई थी, जिस पर सर्वप्रथम विचार विर्मश किया गया-विचार विमर्श के दौरान वार्ड नं0 14 के पार्षद ने बताया कि उनके वार्ड में बड़े बाजार की सड़क जिसका निर्माण नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है उक्त सड़क को दो-तीन बारे बनाया गया है, परन्तु कार्य संतोषजनक नहीं है। इस पर कार्यकारी अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य में खामिया पाये जाने का मुख्य कारण मौसम का अनुकूल न होना है, मौसम ठीक होने उपरांत जल्द ही कार्य करवा दिया जायेगा। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये कि 31 मार्च, 2017 तक फर्म से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करवाया जाये। यदि फर्म द्वारा 31 मार्च, 2017 तक कार्य पूर्ण नहीं करवाया जाता है तो उसके विरूध FIR करवाई जाये। **(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
2.	**नगर निगम, रोहतक के कार्यालय के निर्माण बारे।** नगर निगम, रोहतक के कार्यालय के लिए पुराने जुडिशियल काम्पलैक्स की 5533 वर्गगज भूमि नगर निगम को स्थानंतरण करने बारे अनुरोध किया गया था जिस बारे पत्र क्रमांक 834-एआरआईसी-1-2015/674 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा 75000/- प्रति वर्गगज भूमि के वाणिज्यिक रेज लगाये गये थे। जिस बारे दिनांक 14.06.2016 को सदन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पुराने जुडिशियल काम्पलैक्स की भूमि पर वाणिज्यिक रेट लगाये गये है जोकि अधिक है, इसलिए इस बारे सरकार को रिहायशी रेट पर दिये जाने या बिना शुल्क के नगर निगम, रोहतक को स्थानंतरण करने के लिए पत्र लिखा जाये। जिसके संदर्भ में नगर निगम, रोहतक द्वारा उपायुक्त महोदय को पत्र क्रमांक एमसीआर/एलओ/2016/535 दिनांक 30.08.2016 को पत्र लिखा गया कि नगर निगम द्वारा जनहित के कार्य किए व करवाये जाते है। इस भूमि का नगर निगम द्वारा कोई	नगर निगम, रोहतक के कार्यालय के लिए पुराने जुडिशियल काम्पलैक्स की 5533 वर्गगज भूमि नगर निगम को स्थानंतरण करने बारे अनुरोध किया गया था जिस बारे पत्र क्रमांक 834-एआरआईसी-1-2015/674 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा 75000/- प्रति वर्गगज भूमि के वाणिज्यिक रेज लगाये गये थे। जिस बारे दिनांक 14.06.2016 को सदन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पुराने जुडिशियल काम्पलैक्स की भूमि पर वाणिज्यिक रेट लगाये गये है जोकि अधिक है, इसलिए इस बारे सरकार को रिहायशी रेट पर दिये जाने या बिना शुल्क के नगर निगम, रोहतक को स्थानंतरण करने के लिए पत्र लिखा जाये। जिसके संदर्भ में नगर निगम, रोहतक द्वारा उपायुक्त महोदय को पत्र क्रमांक एमसीआर/एलओ/2016/535 दिनांक 30.08.2016 को पत्र लिखा गया कि नगर निगम द्वारा जनहित के कार्य किए व करवाये जाते है। इस भूमि का नगर निगम द्वारा कोई वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाना है इसलिए नगर निगम कार्यालय बनवाने के लिए इस सरकारी भूमि को रिहायशी रेट पर दिये जाने या बिना शुल्क के स्थानंतरण किया जाये। उपायुक्त रोहतक द्वारा भी इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ को अर्धसरकारी पत्र क्रमांक 461.63/एस.के. दिनांक 27.2.2017 द्वारा अनुरोध

	वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाना है इसलिए नगर निगम कार्यालय बनवाने के लिए इस सरकारी भूमि को रिहायशी रेट पर दिये जाने या बिना शुल्क के स्थानंतरण किया जाये।	किया जा चुका है। नगर निगम रोहतक द्वारा इस स्थल पर भवन बनाने के प्रस्तावना व सरकार से इसके लिए अनुदान राशि लेने के लिए अनुरोध पत्र भेजने की सदल द्वारा स्वीकृति दी गई। **(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3.	**आवारा कुत्तो की रोकथाम बारे।**	नगर निगम रोहतक क्षेत्र में आवारा कुत्तों की भरमार है जिस पर रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया हुआ है। पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदन को सूचित किया गया कि पशुपालन विभाग द्वारा इस संदर्भ में 9.3.2015 को अधिसूचना जारी की हुई है। जिसमें पूरे राज्य स्तर की आवारा कुत्तों को नियन्त्रित करने के लिए दो स्वयं सेवी संस्थाओं को नियुक्त किया हुआ है। सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि उपनिदेशक, पशुपालन विभाग रोहतक इस संदर्भ में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना व सम्बन्धित एजेंसी से सम्पर्क स्थापित कर 15 मार्च तक उपायुक्त रोहतक को सूचित करेंगे तथा इसके पशचात इस पर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा इस संदर्भ में नगर निगम रोहतक द्वारा भी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भी पत्र लिखकर पशुपालन विभाग से शीघ्र कार्यवाही करवाने के लिए अनुरोध पत्र भेजने के निर्देश दिए गए। **(संयुक्त आयुक्त, नगर निगम व उपनिदेशक पशुपालन विभाग रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
4.	**नगर निगम, रोहतक को साफ, स्वच्छ, सुन्दर व शौच मुक्त बनाने बारे।**	नगर निगम रोहतक को साफ, स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिए सफाई व घर-घर से कूड़ा उठाने की निविदा जो राज्य स्तर पर तैयार की गई तथा उसी अनुसार नगर निगम द्वारा जोन नं0 3 (ग्रामीण क्षेत्र वार्ड नं0 7,8,20) की निविदा आमंत्रित की गई थी तथा पारवती इन्टरप्राईजिज जिसको यह कार्य आवंटित किया गया उन द्वारा इस जोन में कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके वर्क आर्डर की प्रति भी मेयर, नगर निगम, रोहतक को पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक एमसीआर/जेसी/2017/576 दिनांक 07.02.2017 द्वारा भेजी जा चुकी है। अब निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक TA/DULB/2017/855 दिनांक 23.2.2017 द्वारा निर्देश दिए

		गए है कि उन द्वारा जारी निविदा प्रारूप को वापिस ले लिया गया है तथा नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर अब निविदाएं आमन्त्रित करनी है। सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया कि जोन न0 1 व जोन न0 2 की घर-घर से कूडा उठाने व कूडा करकट उठाने की निविदा नगर निगम रोहतक व सैनीटेशन सबकमेटी के सदस्य बैठकर एक सप्ताह में तैयार करेंगे व उसी के अनुसार आगामी जोन न0 1 व 2 की निविदा आमन्त्रित की जाए। नगर निगम, रोहतक को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए वार्ड–1 से 20 तक 1765 शौचालय की प्रथम किस्त दे दी गई है तथा जिन व्यक्तियो के शौचालय पूर्ण हो चुके है उन व्यक्तियो को दूसरी किस्त प्रगति पर है। जिन घरो में शौचालय नहीं है उनके मौके देखे गए है तथा उन्हे नोटिस भी जारी किये जा चुके है। वार्ड न0. 3 व 4 में सबसे अधिक शौचालय निर्मित होने है इसके लिए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित वार्ड पार्षद के साथ नगर निगम के नगर अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता मौके पर जाकर सम्बन्धित व्यक्तियों को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि वह फिर भी एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ नहीं करते है तो उनके विरूद्व सरकारी धन के दुरूयोग की प्राथमिकी दर्ज करवाई जाऐगी। इसके अतिरिक्त रोहतक नगर निगम क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त करने के लिए मेयर की अध्यक्षता में कार्यकारी अभियन्ता-I, दोनों सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ उपमेयर व उपमेयर की एक कमेटी भी गठित की गई। **(संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, सम्बन्धित नगर अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता व सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
5.	**वार्ड नं0 3 व 4 मे बिजली के कनैक्शन बारे।**	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बारे वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई थी उसके अनुसार विद्युत विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे तथा बूस्टींग स्टेश्न का कनेक्श्न चालू करे तथा व्यक्तिगत कनेक्शन पर भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। **(उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

6.	**नगर निगम की ADHOC कमेटियां बहाल करने बारे।**	हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 40 के तहत वर्ष 2013 में जो ADHOC कमेटियां बनाई गई थी उन्हे सदन द्वारा सर्वसम्मति से पुनः बहाल किया गया।
7.	**सुभाष चौक के सामने वाले चौराहे का सौन्दर्यकरण करने व इस का नाम रोटरी क्लब रखने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे सुभाष चौक के सामने वाले चौराहे का सौन्दर्यकरण करने के साथ अपना चिन्ह लगाने व इस का नाम रोटरी क्लब रखने के लिए रोटरी क्लब रोहतक द्वारा प्रार्थना की गई है। इसके रख रखाव हेतु क्लब को लगभग 10 वर्षो व उससे अधिक समय के लिए रोटरी क्लब को सुपर्द किया जाए। सभी प्रकार का खर्च क्लब द्वारा ही वहन किया जाएगा। **अतः सुभाष चौक के सामने वाले चौराहे का सौन्दर्यकरण करने के साथ अपना चिन्ह लगाने व इस का नाम रोटरी क्लब रखने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि रोटरी कल्ब द्वारा सुभाष चौके के सामने बने चौराहें का सौन्दर्यकरण किया जाऐगा व रोटरी का चिन्ह लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त रोटरी कल्ब द्वारा जहां पर नेताजी सुभाष की मूर्ति लगी है वहां पर सुभाष चौक का बोर्ड भी लगाया जाऐगा। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
8.	**वार्ड न0 7, गांव बोहर में ब्राहमण शमशान घाट का नवीनीकरण करने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे वार्ड न0 7, गांव बोहर के निवासियों ने माननीय उपायुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र दे कर प्रार्थना की है कि ब्राहमण शमशान घाट जर्जर हालत में है। इस शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाए। **अतः वार्ड न0 7, गांव बोहर के निवासियों की मांग के मध्यनज़र ब्राहमण शमशान घाट का नवीनीकरण करवाए जाने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	सम्बन्धित वार्ड पार्षद के एतराज के पश्चात सदन द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया तथा इसके स्थान पर हरिजन शमशान घाट के नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
9.	**नगर निगम, रोहतक की जगह पर बने आर.टी.ए. निवास पर नया सामुदायिक केन्द्र बनाने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे वार्ड न0 5, सोनीपत रोड पर नगर निगम की जगह पर बना आर.टी.ए. निवास काफी	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि ग्राउण्ड फलोर पर पार्किंग प्रथम तल पर सामुदायिक केन्द्र व द्वितिय तल पर व्यवसायिक बुथ बनाए जाए ताकि नगर निगम की आय को बढाया जा सके। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	पुराना हो चुका है। इस भवन को तोड़ कर आमजन की सुविधा को देखते हुए इस जगह पर एक सामुदायिक केन्द्र बनाया जाना उचित होगा ताकि आमजन इस सुविधा का लाभ उठा सके। **अतः वार्ड न0 5, सोनीपत रोड पर नगर निगम की जगह पर बना आर.टी.ए. निवास/भवन को तोड़ कर आमजन की सुविधा को देखते हुए इस जगह पर एक सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने का निर्णय पहले ही F&CC द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। अतः प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	
10.	**अम्बेडकर कालोनी, एकता कालोनी, छोटूराम कालोनी, ग्रीन पार्क व राजीव कालोनी में Boosting Station के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जगह उपलब्ध करवाने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग , डिविज़न न0 2, रोहतक ने सन्दर्भित पत्र द्वारा सूचित किया है कि अम्बेडकर कालोनी, एकता कालोनी, छोटूराम कालोनी, ग्रीन पार्क व राजीव कालोनी निवासियों ने Boosting Station की मांग की है, क्यो कि इनके एरिया में पानी नहीं पहुँच रहा है। इस लिए Boosting Station के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जगह चाहिए। सम्बन्धित पार्षद ने बताया है कि नगर निगम की भूमि डेयरी काम्पलैक्स में उपलब्ध है। अतः आप उक्त भूमि पी.एच.ई. को स्थानान्तरण करने का कष्ट करे ताकि लोगो की समस्या का समाधान हो सके। डेयरी काम्पलैक्स के पास गांव कन्हैली में नगर निगम की भूमि किला न0 37//23/2, 24/2, 25/2 रकबा 13 कनाल 2 मरले उपलब्ध है। **इस रकबे में से Boosting Station के लिए 100X100 फुट यानि 2 कनाल जगह पी.एच.ई. को स्थानान्तरण करने के लिए देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए संबंधित पार्षद के अनुरोध पर यह भी निर्णय लिया गया कि शीतल नगर वार्ड नं0 19 में नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर भी Boosting Station का निर्माण किया जायेगा। **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

11.	**नगर निगम, रोहतक की नई लाईब्रेरी व उसके उपर प्रैस मिडिया क्लब बनाने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे आमजन की सुविधा को देखते हुए नगर निगम की एक नई लाईब्रेरी व उसके उपर प्रैस मिडिया क्लब बनाया जाना अनिवार्य है ताकि आमजन इस सुविधा का लाभ उठा सके। **अतः नगर निगम की एक नई लाईब्रेरी व उसके उपर प्रैस मिडिया क्लब बनाए जाने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	कार्यकारी अभियन्ता द्वारा सदन को सूचित किया गया कि नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 19.2.2014 में एजेंडा न. 23 में सदन द्वारा आधुनिक निगम पुस्तालय एवं मीडिया सैन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इसी के संदर्भ में नगर निगम द्वारा इसका प्रांकलन 72 लाख रू0 का तैयार करवाया गया है। जिसे सक्षम अधिकारी के पास तकनीकि स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि इस पर आगामी बैठक में निर्णय लिया जायेगा।
12.	**गांव कन्हैली में नगर निगम के स्टोर को सामुदायिक केन्द्र का रुप देन बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे गांव कन्हैली में नगर निगम के स्टोर का निर्माण किया गया है, परन्तु उसकी ड्राईंग सामुदायिक केन्द्र की तरह लगती है। वार्ड 8, 18, 19 में स्थित होने के कारण इसे सामुदायिक केन्द्र के रुप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सामुदायिक केन्द्र के लिए 1.40 करोड़ रु0 की स्वीकृति है। इस स्टोर के अग्रिम हिस्से में जो खाली जगह है वहां 30 फुट व 40 फुट का एक स्टोर व इसके सामने स्थित तीन साईडो में सड़क का निर्माण किया जा सकता है। **अतः नगर निगम के स्टोर को सामुदायिक केन्द्र का रुप देने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वर्ममान में बने स्टोर को सामुदायिक केन्द्र में परिवर्तित किया जाए तथा स्टोर के लिए जो जगह निर्धारित की जा रही है उसके लिए अन्य कोई जगह निर्धारित की जाए। वर्तमान में प्रस्तावित स्थल पर केवल सामुदायिक केन्द्र व पार्क का ही निर्माण हों। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
13.	**झंग कालोनी में पार्क बनाने बारे।** उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे झंग कालोनी निवासियों ने मांग की है कि झंग कालोनी में नगर निगम की जगह उपलब्ध है, उस जगह पर एक पार्क बनाया जाए ताकि आमजन इस सुविधा का लाभ उठा सके। **अतः झंग कालोनी निवासियों की मांग के मध्यनज़र झंग कालोनी में नगर निगम की जगह पर एक पार्क बनाए जाने का निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **इस पर नियमानुसार कार्यवाही कार्यकारी अभियन्ता, भू-अधिकारी व नगर निगम के विधि सहायक द्वारा संयुक्त रूप से की जानी है।**

14.	**डेयरियों को शहर से शिफ्ट करने हेतु।** सभी डेयरी आनर (दुर्गा भवन के पीछे) ने अनुरोध किया है कि हम पिछले 50 50 वर्षो से डेयरियों में केवल भैंस खरीद फरोकत का काम कर रहे है। यहां दूध बिक्री का कार्य नहीं होता है। इस लिए हमें अलग से एक स्थान मुहैया कराया जाए ताकि वहां भी हम सब उसी प्रकार से कार्य कर सके। सभी डेयरी आनर (द्वारा बिक्री का कार्य के लिए 20 प्लाट 1000 वर्गगज़ के, 33 प्लाट 500 वर्गगज़ के, 36 प्लाट 250 वर्गगज़ के हो, तथा उसमें Bio Gas का प्लान्ट, सड़क आदि जगह की मांग की है। उन की मांग अनुसार इन प्लाटो के लिए 10 व 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। गांव गढी बोहर में नगर निगम की भूमि किला न0 227//19, 20, 21, 22, 261//20, 21, 262//6,7,14,15,16,17,18,23,24,25 कुल 16 एकड़ भूमि उपलब्ध है। **इस भूमि के कलैक्टर रेट 25 लाख रु0 प्रति एकड़ व मार्कीट रेट 60 लाख रु0 प्रति एकड़ है। डेयरी एसोसिएशन द्वारा की गई मांग पर पुनः विचार करने हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में प्रस्तुत है।**	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि शहर में काफी डेयरिया ऐसी है जिन्हे डेयरी काम्पलैक्स कन्हेली में प्लाट दिया गया है, परन्तु प्लाट धारको द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे प्लाट धारको को को तुरंत प्रभाव से डेयरी निर्माण के नोटिस दिये जाए। यदि वह आगामी 1 माह में अपना निर्माण प्रारम्भ नहीं करते है तो उनके प्लाट Resume करने का नोटिस भी उन्हें दिया जाए। भू-अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्लाट धारकों को नोटिस जाए, कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर नालों का समुचित निर्माण हो सफाई निरीक्षक नगर निगम रोहतक यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर सफाई की पूर्ण व्यवस्था हों। कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर पानी व सीवर के कार्य की शीघ्र ही व्यवस्था की जाए। गांव गढी बोहर में सम्बन्धित पार्षद के एतराज के बाद सदन द्वारा प्रस्ताव को निरस्त किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम, भू-अधिकारी, नगर निगम व कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
15.	**Solid waste plant पर विचार विमर्श बारे।**	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Solid waste plant को शीघ्र अति शीघ्र सुचारू रूप से चलाने बारे कार्यवाही की जाए तथा जिस फर्म द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग व निदेशक शहरी स्थानीय निकाय को भी इस संबंध में आवश्यक पत्राचार किया जाए। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम व सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
16.	**संपत्तिकर तथा लाईसैंस फीस वसूली के लिए टीम का गठन करने बारे।**	सम्पत्तिकर में काफी त्रुटियां पाई जाने के कारण सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान सम्पत्तिकर के रिकार्ड को अपडेट किया जाए। इसके लिए निर्धारित फर्म से

	नगर निगम में संपत्तिकर तथा लाईसैंस फीस वसूली का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अतः संपत्तिकर तथा लाईसैंस फीस वसूली के लिए नोडल आफिसर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया जाये उक्त टीम समय–2 पर नगर निगम क्षेत्र के सरकारी इमारतो, रेस्टोरेन्ट, होटल, माल तथा इस प्रकार के बडे–2 संस्थानों में जाकर निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान यदि कोई डिफाल्टर पाया जाता है तो उसे तुरन्त नोटिस जारी करेगी। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	आगामी एक माह के अन्दर कार्य को पूर्ण करवाकर क्षेत्रीय कराधान अधिकारी रिपोर्ट करें। इसके अतिरिक्त लाईसैंस, डोमिसाईल व अन्य प्रमाण पत्रों में नगर निगम रोहतक द्वारा बकाया करो व विकास शुल्क की वसूली के संदर्भ में प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0 9, श्री अशोक खुराना, सदस्य वार्ड नं0 10, श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0 19, श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0 12, प्रधान बैंकिट हॉल ऐसोशियेशन तथा मार्किट के प्रधान सदस्य होंगे संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक सचिव तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नगर निगम, रोहतक सदस्य सचिव होगे। यह कमेटी एक सप्ताह के अन्दर अपनी बैठक कर दिनांक 9.3.2017 तक अपनी रिपोर्ट Finance and contract कमेटी को प्रस्तुत करेंगी तथा उसके अनुसार क्षेत्रीय कराधान अधिकारी हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में दिये गए प्रावधानों व कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कराधान अधिकारी यह भी सूनिश्चित करेंगे कि सभी मोबाईल टावर, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों, होटल, बैंकटहाल आदि के लाईसैंस सुनिश्चित करेंगे तथा जिनके पास निर्धारित लाईसैंस नही होंगे उनके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 130, 324, 326,330,331,333,334,335,336,337 व 392 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
17.	**नगर निगम की दुकानो का किराया बढाने बारे।** नगर निगम की दुकाने जो कि काफी वर्षो से किराये पर चल रही है, उनका किराया काफी कम है जिसमें बढोतरी की आवश्यता है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम की जिन दुकानो को दुकानदारो द्वारा पुनः किराये पर दिया है उन्हे निरीक्षण करने उपरांत चिन्हित कर नोटिस दिया जाये तथा उनके साथ किये गए इकरारनामे के उल्लंघन के नोटिस देकर उनके खिलाफ आगामी बैठक में केस प्रस्तुत किया जाए। **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
18.	**नगर निगम क्षेत्र मे लगाये जाने वाले इस्तहारों के बोर्डो के लिए सरकार ने कुछ बिन्दू तय किये हुए है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर लगें बोर्डो के जुर्माना लगाकर या किराया वसूल करके निगम की आय बढाई जा सकती है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।** नगर निगम क्षेत्र मे लगाये जाने वाले इस्तहारों के	सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा सरकार द्वारा जारी नए Advertisment Bye Laws को सुनिश्चित करते हुए भू-अधिकारी आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा आगामी बैठक में अपना पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे। **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	बोर्डो के लिए सरकार ने कुछ बिन्दू तय किये हुए है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर लगें बोर्डो के जुर्माना लगाकर या किराया वसूल करके निगम की आय बढाई जा सकती है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
19.	**नगर निगम रोहतक क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाईटे लगाई गई है नगर निगम केवल उन्ही के बिजली बिल तथा रख रखाव का खर्च वहन करे।**	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
20.	**नगर निगम के अंर्तगत आने वाले सिनेमाघरों का शो टैक्स बढाने बारे।** नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले सिनेमाघरों से निगम प्रत्येक शो के मात्र 8 रूपये शो टैक्स लेता है जो कि काफी कम है। अतः शो टैक्स में कुछ बढोतरी करके निगम की आय बढाई जा सकती है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सिनेमा घरो से 500 रूपये प्रति शौ वसूला जायेगा। **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
21.	**रोहतक जिले में पशु चिकित्सालय व कालेज बनवाने बारे।** वार्ड नं0 1 के पार्षद श्री राजबीर सैनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमे उन्होने रोहतक जिले में पशु चिकित्सालय व कालेज बनाने की मांग की है। पशु चिकित्सालय व कालेज बनाए जाने से पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी तथा युवाओं को पशु चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	यह नगर निगम से सम्बन्धित नही है। पशुपालन विभाग आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही करें।
22.	**नगर निगम क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले पुलों के नीचे कब्जे हटवाकर उसका सौन्दर्यकरण करने बारे।** प्रायः देखने में आया है कि पुलो के नीचे रहने वाले दुकानदार तथा वहां के निवासी पुलों के नीचें की सारी जगहो पर सामान डालकर तथा गाडी इत्यादि खडी करके कब्जा किये रहते है जिसके कारण वहां काफी गंदगी रहती है व सफाई भी ठीक से नही हो पाती।	सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि नगर निगम की सीमा में आने वाले पुलो के नीचे के अनाधिकृत कब्जों को हटाकर दो तीन पिल्लर के बीच में पार्किंग की व्यवस्था तथा शेष क्षेत्र में ग्रील लगाकर वहां पर बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि लोग वहां कब्जा ना कर सके। **(कार्यकारी अभियन्ता व भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	अतः पुलो के नीचे कब्जे हटवाकर वहां फूल व पौधे व ग्रिल लगवाकर का सौन्दर्यकरण किया जा सकता है। सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।	
23.	**भगत सिंह पार्किंग को लीज पर देने बारे।**	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित पार्षद तथा चारो मार्किट के प्रधानो से बैठक करने उपरांत भगत सिंह पार्किंग को चलाने के लिए प्रस्तावना प्रस्तुत की जाए तथा द्वितिय व तृतिय तल का किराया निर्धारित करने उपरान्त खुली बोली द्वारा किराया पर दिया जाए। **(भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्न लिखित बिन्दुओ पर विचार-विर्मश किया गयाः-

क्रम सं0	एजेन्डा	निर्णय
1.	**सभी प्रार्षदो ने जनस्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर काफी असंतोष जताया, जिसमें निम्न खामियां पाई गईः—**	
	1. सीवर से निकली गंदगी/कचरा को वही पर छोड़ दिया जाता है।	1. सदन द्वारा अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को निर्देश दिये गए कि वह यह सुनिश्चित करें कि सीवर की सफाई के पश्चात निकलने वाली गन्दगी को अगले दिन तक सम्बन्धित ठेकेदार से उठवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए वह सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित करें यदि भविष्य में इस प्रकार की गन्दगी मौके पर पाई जाती है तो उनके व सम्बन्धित ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
	2. वार्ड नं0 14 में पीने के पानी में सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है।	2. सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वार्डो में पीने के पानी स्वच्छ सप्लाई हो यदि भविष्य में पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स पाया गया तो सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा जाऐगा।
	3. वार्ड नं0 20 में पानी की वाल लगवाई जाये।	3. कार्यकारी अभियन्ता वार्ड न0. 20 में पानी की वाल की आवश्यकता अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
	4. श्री जितेन्द्र मुटनेजा, एस0डी0ओं0 का कार्य संतोषजनक नहीं उन्हे काफी शिकायते दी जा	4. श्री जितेन्द्र मुटनेजा के खिलाफ अधीक्षक अभियन्ता को निलंबित करने के निर्देश दिये गये।

	चुकी है, परन्तु किसी का भी निवारण नहीं हुआ है। इसे तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाये। **5. जन स्वास्थ्य विभाग के पास बजट की कमी है पूर्व वर्ष 306 लाख रूपये का बजट मांगा गया था, परन्तु केवल 22 लाख रूपये ही प्राप्त हुए जोकि काफी गंभीर विषय है केवल 22 लाख रूपये में नगर निगम क्षेत्र में सीवर व पानी की व्यवस्था की जानी संभव नहीं है। अतः जनस्वास्थ्य विभाग का बजट बढाने बारे पत्र लिखा जाये।** **6. शिवम ऐन्कलेव में सीवर की पाईप डाली जानी है उसे शीघ्र शुरू करवाया जाए।**	5. जनस्वास्थ्य विभाग को प्रयाप्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए सदन के प्रस्ताव को अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को अनुरोध सहित भेजने के लिए सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। 6. कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वे कार्य को शीघ्र की प्रारम्भ करवा देंगे।
2.	सभी विभागो के अधिकारियो के फोन नं0 निगम पार्षदो को उपलब्ध करवाये जाये।	आयुक्त महोदय द्वारा आगामी दो दिन के अन्दर सूची सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
3.	नगर निगम कार्यालय में चल रही सी.एस.सी. को बंद करने बारे।	आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गए कि जिला सूचना अधिकारी को इस संदर्भ में कार्यवाही करने के लिए नोटिस दिया जाए।
4.	सैक्टर 1 में खेल का मैंदान का निर्माण बारे।	सैक्टर 1 में पावर हाउस निर्माण के लिए जगह निर्धारित की गई थी। बैठक में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियन्ता व कार्यकारी अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया कि यह जगह पावर हाउस बनाने के लिए प्रर्याप्त नही है। अतः इसके लिए कोई दूसरी जगह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाए। सदन में उपस्थित सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आशवासन दिया गया कि खेल का मैदान बनाने के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।
5.	पुराने आई.टी.आई ग्राउण्ड स्थित पार्क के अन्दर शौचालय व पीने के पानी तथा जिम की व्यवस्था करवाने बारे।	पुराने आई.टी.आई. ग्राउण्ड में स्थित पार्क हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। अतः वहां पर शौचालय, पीने के पानी व जिम की व्यवस्था हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा करवाई जानी है। सम्पदा अधिकारी द्वारा इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का आसवासन दिया गया।

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की धोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 01/03/2017

क्रमांक MCR/Mayor/2017/1000-1004

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री मनीष ग्रोवर, माननीय सहकारिता, लेखन एवं मुद्रण सामग्री व शहरी स्थानीय निकाय, राज्यमंत्री हरियाणा सरकार।
2. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
3. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
4. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 01/03/2017

क्रमांक MCR/Mayor/2017/1005-1011

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2017/1012-16 दिनांक 01/03/2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि अपने से सम्बन्धित कार्य को निशचित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवार पालना रिपोर्ट नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में भिजवाये ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकें।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सिविल सर्जन रोहतक।
3. अधीक्षक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग रोहतक।
4. अधीक्षक अभियंता उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।